न्यायालय, अपर समाहर्ता, रॉंची।

एस ए आर अपील 11 आर 15/08–09

प्रमोद कुमार शाह		अपीलकर्ता
	बनाम	
शंकर कच्छप		प्रतिवादी

आदेश

6/23.06.2008 यह अपील एस ए आर वाद संख्या 242/06–07 में विशेष विनियमन पदाधिकारी, रॉंची द्वारा दिनांक 7.2.2008 को पारित आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है। निम्न न्यायालय ने निम्नांकित जमीन प्रतिवादी को वापस करने का निर्णय लिया है।

ग्राम	**खाता**	**प्लॉट**	**रकबा**
हुण्डरु	208	482	73 डिसमिल मध्ये 9 कट्टा

अपील आवेदन में बताया गया है कि निम्न न्यायालय से अपीलकर्ता को नोटिस नहीं दिया गया एवं उन्हें बहस का अवसर भी नहीं प्रदान किया गया। विवादित जमीन में से 15 डिसमिल खतियानी रैयत मंगरा पाहन के पुत्र पाण्डु पाहन ने सादा पट्टा द्वारा दिनांक 10.3.1950 को अपीलकर्ता के दादा चौधरी शाह को बिक्री किया था। क्रेता ने उसी समय विवादित जमीन पर मकान का निर्माण कर लिया था। निम्न न्यायालय ने विवादित जमीन पर संरचना के विन्दु पर जॉंच नहीं किया एवं जमीन वापसी का आदेश पारित किया।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता का बहस सुना गया। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने अपील आवेदन के तथ्यों का ही उल्लेख किया एवं बताया कि निम्न न्यायालय में किसी भी पक्ष की गवाही नहीं ली गयी।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि 1950 में पाण्डु पाहन की उम्र चार साल थी अतः जमीन हस्तांतरित करने का प्रश्न ही नहीं उठता। विवादित जमीन पर कोई संरचना नहीं है तथा यह प्रतिवादी के पूर्वजों की रैयती जमीन है।

प्रस्तुत वाद में सभी कागजातों को देखने से यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता के पास 1950 का एक सादा पट्टा है जो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के प्रतिकुल है। 1950 में आदिवासी से गैरआदिवासी को भूमि के हस्तांतरण का प्रावधान धारा 46 में निहित नहीं था। इस प्रकार के हस्तांतरण का प्रावधान अधिनियम की धारा में नहीं है। अतएव अपीलकर्ता का 1950 का सादा पट्टा अवैध और गलत है।

अतएव अपील अस्वीकृत किया जाता है। अंचल अधिकारी, शहर को दखल दिहानी का आदेश भेजें।

दिनांकः— 23.06.2008

लेखापित वो संशोधित।

ह0 / —

अपर समाहर्ता,

रॉची।